राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID:- MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :- www.msrgy.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ56(क)(18832)CE/DLB/MSRGY/2025-26/18564–18872 दिनांक 06/03/2026

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
(समस्त) राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य की मांग पोर्टल पर दर्ज करवाये जाने बाबत्।

सन्दर्भः–निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक 1569–1808 दिनांक 05.03.2025।

उपरोक्त विषय में लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वयं की कार्य हेतु उपलब्धता अनुसार पखवाड़ा–वार कार्य की मांग योजना के पोर्टल पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके अनुसार नगरीय निकाय द्वारा पखवाड़े में कार्य की मांग हेतु उपलब्ध श्रमिकों को मस्टररोल जारी कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। निदेशालय के संदर्भित पत्र द्वारा नगरीय निकाय स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क व सार्वजनिक सूचना एवं जनसम्पर्क माध्यमों का उपयोग करते हुये पंजीकृत श्रमिकों को योजना के उक्त प्रावधान से अवगत करवाते हुए प्रतिवर्ष पोर्टल पर जॉब डिमांड दर्ज करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पंजीकृत श्रमिकों हेतु नगरीय निकाय स्तर पर कैम्प आयोजित कर दिनांक 24.03.2026 तक श्रमिकों द्वारा योजना पोर्टल पर आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के पखवाड़ा–वार कार्य की मांग दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही करावें। जिससे माह अप्रेल 2026 से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से मस्टररोल जारी कर योजना के कार्य क्रियान्वित किये जा सके।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

क्रमांक:एफ56(क)(18832)CE/DLB/MSRGY/2025-26/18873–18925 दिनांक 06/03/2026

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
7. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (MSRGY)

E-file MSRGY Letter 2025-B/1

Signature valid
Digitally signed by Arun Vyas
Designation: Chief Engineer
Date: 2026.03.06 17:47:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20892649

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN www.msrgy.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1569-1808 दिनांकः 05/03/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु कार्य मांगने की अवधि का पखवाड़ेवार पोर्टल पर अंकन किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः–निदेशालय का पत्रांक 30025–30250 दिनांक 06.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में ''मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना'' के पोर्टल पर योजना प्रारम्भ से पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा कार्य मांगने की अवधि अंतर्गत एक बार (One Time) अंकित की गई दिनांक के पश्चात् प्रतिवर्ष निकाय स्तर पर निरन्तर श्रमिक मांग प्रदर्शित हो रही है, जिससे वित्तीय वर्षवार स्पष्ट श्रमिक डिमांड का आंकलन नहीं हो रहा है। निकाय स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कार्य–योजना एवं श्रम बजट तैयार करने हेतु पखवाड़ा–वार श्रमिक उपलब्धता की सूचना आवश्यक होने के कारण योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वयं की कार्य हेतु उपलब्धतानुसार रोजगार मांगने की अवधि (पखवाड़े) अंकित किये जाने का निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः–

1. MSRGY पोर्टल पर पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा एवं नवीन जॉब कार्ड पंजीयन अंतर्गत रोजगार मांग का महीने एवं पखवाड़े अनुसार अंकन किये जाने का नवीन मॉड्यूल माह मार्च–2025 से क्रियान्वित किया गया है।
2. नवीन मॉड्यूल अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से विगत वर्षों में पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों की निरन्तर प्रदर्शित हो रही श्रमिक मांग (कार्य हेतु उपलब्धता) दिनांक 31 मार्च, 2025 पश्चात् अमान्य हो जावेंगी।
3. पोर्टल पर उक्त परिवर्तन के दृष्टिगत नवीन मॉड्यूल अन्तर्गत वर्ष 2025–26 के कार्यों पर नियोजन हेतु श्रमिकों द्वारा कार्य की नवीन मांग अवधी अंकित किया जाना आवश्यक है।
4. समस्त जॉब कार्ड धारकों को 1 अप्रेल, 2025 उपरान्त कार्यों पर रोजगार प्राप्त करने हेतु कार्य मांग के पखवाड़े अंकित कर जॉब कार्ड सदस्यों की कार्य हेतु उपलब्धता दर्शाई जानी है।

अतः नगरीय निकाय जन–अभियान स्तर पर कार्यवाही करते हुये व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से, सार्वजनिक सूचना एवं जनसम्पर्क माध्यमों का उपयोग करते हुये पंजीकृत श्रमिकों को योजना के नवीन प्रावधान के प्रति जागरूक करावें तथा उनके द्वारा कार्य मांग के पखवाड़े शीघ्रातिशीघ्र पोर्टल पर दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1809-1860 दिनांकः 05/03/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अरुण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.05 17:44:02 IST
Reason: Approved